# कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची

दूरभाष :– 0651-2201076 ई–मेल :– *drdaranchi2017@gmail.com*

ज्ञापांक 1235 (ii) / जि०ग्रा० दिनांक 19 / 10 / 2023

**मनरेगा योजनान्तर्गत विभिन्न पदों की रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यावेदन आमंत्रित करने हेतु रॉंची जिला के वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ सूचना**

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, सरकार के संकल्प ज्ञापांक 4729 दिनांक 04.06.2007 एवं नियुक्ति सेवा शर्त्त एवं कर्त्तव्य (संशोधन) नियमावली 2012 के संकल्प ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.2012 से निर्गत एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 1617 दिनांक 17.03.2023 के अनुरूप जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राँची अन्तर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर किया जाना है। रिक्त पदों की विस्तृत विवरणी निम्नवत् हैः–

| पद का नाम | अनारक्षित | अ०ज०जा० | अ०जा० | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | अ०का० वर्ग० | कुल पद |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| लेखा सहायक | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| कम्प्यूटर सहायक | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| ग्राम रोजगार सेवक | 26 | 22 | 2 | 3 | 3 | 6 | 62 |

नोट : विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

**(रिक्त पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है।)**

1. अर्हता

अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 / पिछड़ा वर्ग / अ०का०वर्ग० / निःशक्त श्रेणी के अभ्यथियों के छूट के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र को ऑनलाइन आवेदन में अपलोड करना अनिवार्य है।

## 2. प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ

(i) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी संकाय एवं विषय में स्नातक प्रतिष्ठा 55 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण। सामान्य स्नातक तथा वैसे स्नातक प्रतिष्ठा उत्तीर्ण जिनका प्राप्तांक प्रतिशत 55 प्रतिशत से कम है परन्तु वे स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हों तो वे भी आवेदन समर्पित कर सकेंगे। सामान्य स्नातक तथा स्नातक प्रतिष्ठा में समतुल्यता स्थापित करने के लिए सामान्य स्नातक के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा दिया जायेगा तथा ऐसे घटे हुए प्राप्तांक प्रतिशत को स्नातक प्रतिष्ठा की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) **अतिरिक्त योग्यताः–**

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से एम0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0, बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बीएस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 (कम्प्यूटर विज्ञान) अतिरिक्त योग्यताएँ मानी जायेगी। एम0सी0ए0 एवं पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0बी0ए0/पी0जी0डी0बी0एम0/पी0जी0डी0आर0डी0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटाकर एम0बी0ए0 की कोटि में प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा। बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

(ख) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान यागयताएँ समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सीए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा जबकि। अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस या बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जाएगा।

## 3. तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएंः–

(i) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) अतिरिक्त योग्यताः–

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईस

(ख) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस को समान योग्यताएं समझा जाएगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

**4. तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित शैक्षनिक योग्यताएंः–**

(i) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) अतिरिक्त योग्यताः–

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक0 / बी0ई0, बी0सी0ए0 / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर / बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0 / पी0जीडी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्ति योग्यता होगी।

बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने हेतु उनमें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तदनुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

(ख) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

**5. लेखा सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएंः–**

(i) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी0कॉम0 ऑनर्स या बी0कॉम0 सामान्य न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम0 उत्तीर्ण, जिन्हें 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात एम0कॉम0 किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम0 के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम0 ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) अतिरिक्त योग्यता :–

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0कॉम, बी0सी0ए0 तथा एम0एस0सी0 / पी0जीडी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

(ख) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 का प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

**6. कम्प्यूटर सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएंः–**

**(i) अनिवार्य योग्यता –**

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स या बी0एस0सी0

कम्प्यूटर सामान्य या बी0सी0ए0 या सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण।

(ख) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तंक में 5 घटाते हुए एसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होंने तत्पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर आनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

**(ii) अतिरिक्त योग्यता :–**

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से एम0सी0ए0 / पी0जी0डी0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(ख) एम0सी0ए0 / एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 / सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

**7. ग्राम रोजगार के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं:–**

(i) अनिवार्य योग्यता –

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से इन्टरमीडियेट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में ITI, मैट्रिक के पश्चात ITI की स्थिति में ITI के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमीडियेट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।

**(ii) अतिरिक्त योग्यता :–**

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से किसी भी विषय / संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा / सामान्य स्नातक / बी0सी0ए0 तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर / पी0जी0डी0सी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0आर0डी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

(ख) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। पी0जी0डी0सी0ए0 / पी0जी0डी0बी0ए0 / पी0जी0डी0आर0डी0 को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थियों का योग्यता Score का निर्धारण इन्टरमिडियट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा।

उपरोक्त सभी पदों हेतु सभी शैक्षणिक योग्यताएँ– जो सरकारी मान्यता प्राप्त हो– ही मान्य होगी।

8. आयु सीमाः दिनांक 01.01.2021 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए एवं अधिकतम आयु सीमा निम्नवत है :–

| क्र0 | श्रेणी | सामान्य अधिकतम आयु सीमा | दिव्यांग जनों के लिए |
|---|---|---|---|
| 1 | अनारिक्षत | 35 वर्ष | 40 वर्ष |
| 2 | पिछड़ा / अत्यंत | 37 वर्ष | 47 वर्ष |
| 3 | महिला ( अनारक्षित / पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग) | 38 वर्ष | 48 वर्ष |
| 4 | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (महिला एवं पुरूष) | 40 वर्ष | 50 वर्ष |

9. राष्ट्रीयता : आवेदक भारत का नागरिक हो।

10. आरक्षण : अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों के अनुसार निर्धारित किया जायेगा।

11. परिलब्धि :

**मानदेय :**

| क्र0सं0 | पद का नाम | मानदेय प्रति माह |
|---|---|---|
| 1 | प्रखण्ड कार्यकम पदाधिकारी | 23140/– |
| 2 | तकनीकि सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) | 22000/– |
| 3 | तकनीकि सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) | 19000/– |
| 4 | लेखा सहायक | 14300/– |
| 5 | कम्प्यूटर सहायक | 14300/– |
| 6 | ग्राम रोजगार सेवक | 11000/– |

**12. नियुक्ति के नियम एवं शर्तें:–**

(क) उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जाएगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वार उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर किये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी, तो नियुक्ति समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसे नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति का नियम 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर

ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(घ) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसे नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा, तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरीत यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो, तो उसे एक माह पूर्व लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे।

(च) उपर्युक्त किसी पद विशेष पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष द्वारा किसी एक जिला में ही आवेदन किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन के साथ उन्हें इस आशय का एक शपथ पत्र भी अर्पित करना अनिवार्य होगा कि झारखण्ड राज्य के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए उनके द्वारा अन्य जिला में कोई आवेदन नहीं किया गया है।

(छ) औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों की दक्षता जाँच किया जायेगा। दक्षता जाँच में प्राप्त अंक Qualifying nature का होगा। अर्थात नियुक्ति प्रक्रिया में बने रहने के लिए अभ्यर्थी को दक्षता जाँच में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। दक्षता जाँच लिखित अथवा मौखिक होगा।

13. **आवेदन कैसे जमा करें:–**

(क) ऑनलाइन आवेदन में आवेदक के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर भी अपलोड करना आवश्यक होगा। आवेदक द्वारा दिनांक 21/10/2023 से दिनांक 03/11/2023 के अपराह्न 05:00 बजे तक वेबसाईट applyrdd.jharkhand.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा।

(ख) आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र समर्पित करना होगा।

(ग) अहर्त्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में माँगी गई सभी विवरणी को पूर्ण रूपेण भरा जाना अनिवार्य है।

(घ) आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड में से किसी एक का विवरण ऑनलाईन आवेदन में देना अनिवार्य है।

(च) जाँच परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्र एवं जिले के वेबसाईट ranchi.nic.in के माध्यम से दी जायेगी।

(छ) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन भरे गये गलत सूचना पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।

Rahul
18/10/2023

उपायुक्त
–सह– जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राँची।